



कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर (म.प्र.)

:: प्रारूप-2 ::

(नियम 3 (4) देखिये)

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

दिनांक 30/11/21

रजिस्ट्रीकरण क्रमांक 118/2021

प्रकरण क्रमांक 6096/अ-74/2021-22

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 (क्रमांक 1 सन 1994) और मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कालोनियों का विकास) नियम 2014 के उपबंधों के अधीन कालोनाईजार् के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, अर्थात :-

श्री/श्रीमती/मेसर्स :- मेसर्स आनंद रियलेटर्स तर्फे भागीदार श्री गिरीश सचदेव
पिता का नाम :- श्री इन्द्रकुमार जी सचदेव
पता :- ऑफिस 606, शगुन आर्कैड विजय नगर चौराहा, ए.बी.रोड. इंदौर

रजिस्ट्रीकरण के निर्बंधन तथा शर्तें निम्नानुसार होगी :-

- 1- यह रजिस्ट्रीकरण इंदौर जिला पंचायत क्षेत्र के लिये मान्य होगा।
- 2- कालोनाईजर को प्रत्येक अतिरिक्त कालोनी के विकास की पूर्व सूचना देना होगी।
- 3- प्रत्येक कालोनी के लिये विकास अनुमति/विकास कार्यों को प्रारंभ करने की अनुमति अलग से प्राप्त करना होगी।
- 4- मौके पर विकास एवं निर्माण करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से डायवर्शन आदेश प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 5- मौके पर निर्माण एवं विकास करने के पूर्व इस कार्यालय से विकास अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 6- इस रजिस्ट्रीकरण की वैधता प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक मान्य होगी।
- 7- नगर तथा ग्राम निवेश विभाग से अभिन्यास स्वीकृत कराना होगा तथा अभिन्यास में अभिलिखित शर्तों का अक्षरशः पालन करना होगा।
- 8- विकास कार्य पूर्ण करने पर इस कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- 9- आपके द्वारा किये जाने वाले प्रोजेक्ट में रेरा पंजीयन होने तक कोई भूखण्ड विक्रय नहीं किया जायेगा, प्रोजेक्ट के समस्त भूखण्ड/इकाईयों का विक्रय RERA में पंजीकृत एजेंट के माध्यम से ही किया जायेगा एवं कॉलोनी का कोई भी भूखण्ड अवैधानिक दस्तावेजों अथवा डायरी पर विक्रय नहीं किया जावेगा।
- 10- आवेदक संस्था के विरुद्ध कालोनी अथवा अधिनियम में उल्लेखित अपराधों से सम्बंधित शिकायत पाई जाने अथवा राजस्व शुल्क बकाया होने अथवा अपराध पंजीबद्ध होने की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त हो जावेगा।

अपर कलेक्टर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर

11- उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में यह लायसेंस स्वमेव निरस्त हो जावेगा।

मुद्रा टिप्पणी :-कालोनी का विकास, उसका विकास कार्य, भूखंडो/भवनो का विक्रय सिर्फ तभी विधिमान्य होगा, यदि कालोनी विकसित करने की अनुमति नियमों में विहित किए गए अनुसार प्राप्त की गई है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

इंदौर, दिनांक 30/11/24

(राजेश साठोड़)
अपर कलेक्टर,
जिला-इंदौर
कालोनी सेल शाखा
जिला इंदौर